2024: CGHC: 41645

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया : दिनांक 12/09/2024 को
आदेश पारित किया गया : दिनांक 22/10/2024 को

ए.सी.क्यू.ए. संख्या 812/2024

1 - नरेश अडवाणी पिता स्वर्गीय रतन अडवाणी, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी-स्टेशन रोड, चकरभाटा, पुलिस थाना चकरभाटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

-----अपीलार्थी

बनाम

1 - नरेंद्र कुमार झा पिता नामालुम, आयु लगभग 56 वर्ष,निवासी-मुख्य सड़क के पास, ग्रामीण बैंक, चकरभाटा, पुलिस थाना-चकरभाटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक/परिवादी के लिए	:	श्री अमित कुमार, अधिवक्ता
उत्तरवादी/अभियुक्त के लिए	:	श्री धीरेंद्र कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश
सी. ए. वी. निर्णय

1. विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा परिवाद प्रकरण संख्या 06/2018 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2023 (अनुलग्नक ए/1) के विरुद्ध परिवादी द्वारा वर्तमान दोषमुक्ति की अपील दायर की गई है, जिसके अंतर्गत विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/उत्तरवाद को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'एन. आई. अधिनियम') की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय आरोप से दोषमुक्त किया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अभियुक्त/उत्तरवादी ने परिवादी को ऋण या देयता के उन्मोचन हेतु भारतीय स्टेट बैंक, चकरभाठा, बिलासपुर का 514121 संख्यांकित ₹4,00,000/- एक चेक दिनांक 09.10.2017 दिया था, जिसे परिवादी द्वारा अपने

बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक की शाखा छतौना, जिला बिलासपुर में आहरण के लिए जमा किया गया था। उक्त चेक खाते(प्रदर्श पी/3)में अपर्याप्त धन के कारण अनादृत हो गया, जिसकी जानकारी परिवादी द्वारा अभियुक्त/उत्तरवादी को विहित समय (प्रदर्श पी/4) में अपने अधिवक्ता के माध्यम से दी गई थी, परन्तु अभियुक्त/उत्तरवादी ने राशि का संदाय नहीं किया। उस आधार पर, परिवादी द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत एक परिवाद दर्ज कराया गया था। अभियुक्त उत्तरवादी के विरुद्ध एक प्र०सू०रिपोर्ट दर्ज की गई थी और प्रकरण को अन्वेषणाधीन किया गया था। इसके बाद, प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण हो जाने पर, अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और आरोप विरचित किये जाने के बाद, अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में साक्षी का परीक्षण किया था और उसके बाद अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथन दर्ज किए गए थे। इस प्रकार अभिलेख पर साक्ष्य की विवेचना उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवाद को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि परिवाद और नोटिस में गलत चेक संख्या का उल्लेख किया गया है और उत्तरवादी/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध से दोषमुक्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हालांकि परिवाद में चेक संख्या या तिथि का गलत उल्लेख किया गया है, जिसके लिए परिवादी ने उक्त के सुधार के लिए एक आवेदन दायर किया है, विचारण न्यायालय ने कार्यवाही की बहुलता का परिवर्जन करने के आवेदन स्वीकार किया है और विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 15.10.2019 द्वारा इसे परिवाद के साथ-साथ शपथपत्र में सुधारा गया है। संशोधन के उक्त आदेश विरुद्ध उत्तरवादी/अभियुक्त ने पुनरीक्षण दायर किया है, जिसे पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि परिवादी ने संशोधन

आवेदन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया है और एकल अंक के सुधार के लिए, संशोधन किया जा सकता है ताकि कार्यवाही की बहुलता को परिवर्जित किया जा सके।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के पूरे प्रकरण में, उत्तरवादी ने न तो उसके द्वारा कोई चेक जारी न करने के बारे में जवाब दिया है, न ही उसके साक्ष्य में कोई आपत्ति उत्थापित की गई है कि चेक संख्या जिसका विधिक सूचना में गलत तरीके से उल्लेख किया गया है, उसके द्वारा नहीं दी गई है। विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्धारित किया है कि परिवादी यह साबित करने में विफल रहा है कि विधिक नोटिस, जो उत्तरवादी को भेजा गया था, समयसीमा में था और उत्तरवादी द्वारा दिया गया कोई चेक जारी किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया हैं कि दाण्डिक कार्यवाही को केवल चेक संख्या, विशेष रूप से उसमें एक अंक का उल्लेख करने में अंकगणितीय और लिपिकीय त्रुटि के आधार पर संदूषित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाने के और आरोपी/उत्तरवादी एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्ध किये जाने के योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी/परिवादी ने एन. आई. अधिनियम की सरंचना के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत किया था, यद्यपि, बचाव पक्ष के साक्ष्य का विश्लेषण किये बिना, विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रमाण के पूरे दायित्व को अपीलार्थी पर स्थानांतरित करने में त्रुटि की थी, जो एन. आई. अधिनियम से संबंधित मामलों में सुस्थापित सिद्धांत और प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है। अपने तर्क के समर्थन में

उन्होंने **नीलेश कुमार लुकंद बनाम निर्मल बरड़िया 2010 (3) एम. पी. एच. टी. 14 (छ.ग.)** के प्रकरण में इस उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया।

6. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने परिवाद के साथ-साथ विधिक नोटिस में चेक संख्या 514121 के स्थान पर गलत चेक संख्या 513121 का उल्लेख किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के सुधार के लिए आवेदन के अवलोकन पर, यह परिलक्षित होता है कि "*परिवाद पत्र के खंड 1 की चौथी पंक्ति में 513121 के बजाय 514121 लिखकर सुधार करने की आवश्यकता है और परिवाद के खंड 02 की तीसरी पंक्ति में 10.10.2017 के स्थान पर 13.10.2017 लिखकर सुधार करने की भी आवश्यकता है।*" जबकि, उक्त आवेदन में, यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि शपथपत्र के साथ-साथ विधिक नोटिस में भी सुधार की आवश्यकता है। विधिक सूचना के अवलोकन पर, चेक संख्या के साथ-साथ तिथि का कोई संशोधन परिलक्षित नहीं होता है, इस प्रकार, एन. आई. अधिनियम की धारा 138-ग का पालन नहीं हुआ है। विधिक सूचना के आधार पर, परिवाद किया गया है, यद्यपि चेक संख्या का गलत उल्लेख किया गया है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति का आदेश उचित रूप से पारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपने तर्क के समर्थन में, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विविध दाण्डिक प्रकरण क्र. 23534/ 2023 में **अनिल कुमार बनाम बलवंत सिंह सेठी** के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया था, माननीय न्यायालय ने इसकी कंडिका 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः -

8. दिलीप (पूर्वोक्त) के प्रकरण में विवाद चेक संख्या के सुधार के संबंध में था जिसे संशोधन के माध्यम से परिवाद के साथ-साथ परिवादी द्वारा दायर नोटिस और शपथपत्र में भी करने की मांग की गई थी। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि चेक संख्या में गलती, जो चेक की तिथि में गलती के समान है, को संशोधन के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि दाण्डिक परिवाद में संशोधन करने के लिए दं०प्र०सं० में कोई प्रावधान नहीं है। आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

"7.अभिलेख के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि सही चेक संख्या 0494063 के स्थान पर चेक संख्या 049063 का उल्लेख नोटिस में किया गया है जो उत्तरवादी/परिवादकर्ता द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत असंदत्त किए गए चेक के धन की मांग के लिए जारी किया गया था। नोटिस में शुरू में उल्लिखित चेक संख्या गलत था जो अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने के लिए आधार था, उक्त गलती को संशोधन के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, शपथपत्र के साथ-साथ दांडिक परिवाद में एक ही गलत चेक संख्या बताई गई है। दंड प्रक्रिया संहिता में दाण्डिक परिवाद में संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेखराज सिंह कुशवाह बनाम ब्रह्मानंद तिवारी, 2013 (5) एम. पी. एच. टी. 184 के प्रकरण के निर्णय में, इस न्यायालय ने पूर्व के मत पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि परिवाद, नोटिस के साथ-साथ उत्तरवादी द्वारा दायर शपथपत्र में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह प्रकरण उक्त निर्णय से पूर्णतः आच्छादित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने **एस. आर. सुकुमार बनाम सुनद रघूराम 2015 में 9 एस. सी. सी. 609** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। सुलभ संदर्भ के लिए कंडिका 10, 11, 18 और 19 को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः -

10. दं०प्र०सं० की धारा 200 में अनुध्यात किया गया है कि एक दण्डाधिकारी एक परिवाद पर एक अपराध का संज्ञान लेते हुए परिवाद की परीक्षा करेगा तथा परिवादी और उपस्थित साक्षी, यदि कोई हो, की शपथ पर परीक्षा करेगा। तब सामान्यतः, दण्डाधिकारी के लिए तीन प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। दण्डाधिकारी या तो अभियुक्त को समन जारी कर

सकता है या दं०प्र०सं० की धारा 202 के अंतर्गत जांच का आदेश दे सकता है या दं०प्र०सं० की धारा 203 के अंतर्गत परिवाद निरस्त कर सकता है। परिवादी के कथन और उस चरण पर प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने पर यदि दण्डाधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह दं०प्र०सं० की धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी करने के लिए आगे बढ़ सकता है। दं०प्र०सं० की धारा 202 'आदेशिका जारी किये जाने को विलंबित करने' पर अनुध्यात करता है। इसमें प्रावधान है कि कोई दंडाधिकारी ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, जिसका संज्ञान लेने के लिए वह प्राधिकृत है, यदि उपयुक्त समझता है तो परिवादित व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए विवश करने हेतु आदेशिका का जारी किया जाना विलंबित कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या उसके अधीनस्थ दंडाधिकारी द्वारा जाँच करा सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश दे सकता है। यदि दण्डाधिकारी को कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता है, तो वह दं०प्र०सं० की धारा 203 में यथाअनुध्यात अनुसार कारणों को दर्ज कर परिवाद को निरस्त कर सकता है। एक दण्डाधिकारी किसी अपराध का संज्ञान तब लेता है जब वह उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लेता है जिस पर वह अपराध करने का आरोप है, न कि उस समय जब दंडाधिकारी को परिवादी द्वारा परिवाद दर्ज करके सूचित किया जाता है या पुलिस रिपोर्ट द्वारा अपराध किए जाने के बारे में सूचित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अतः "संज्ञान" में दण्डाधिकारी द्वारा किसी अपराध के कारित किये जाने के संबंध में न्यायिक बुद्धि के अनुप्रयोग का संदर्भ है, न कि केवल एक दण्डाधिकारी के लिए जो यह जानता है कि कुछ अपराध कारित किया गया था। केवल परिवादी के परीक्षण के उपरांत, दण्डाधिकारी न्यायिक बुद्धि को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा कि अपराध का संज्ञान लेना है या नहीं। दं०प्र०सं० की धारा 200 के अंतर्गत, जब परिवादी का परीक्षण किया जाता है, तो दण्डाधिकारी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने स्वयमेव संज्ञान लिया है, जब दण्डाधिकारी केवल वह सामग्री संकलित कर रहा था जिसके आधार पर वह यह विनिश्चय करेगा कि अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है या नहीं। “अपराध का संज्ञान" से तात्पर्य है अभियोग पर ध्यान देना और उसके साथ परिवाद की अंतर्वस्तु तथा उसके साथ दायर सामग्री पर न्यायिक विवेक का अनुप्रयोग करना। यह परिभाषित करना न तो

व्यावहारिक है और न ही वांछनीय है कि संज्ञान लेने की क्या परिभाषा है। दण्डाधिकारी ने अपराध का संज्ञान लिया है या नहीं, यह प्रकरण विशेष के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

18. यू. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रकरण से जो स्पष्ट है वह यह है कि सरलता से उपचार साध्य विधिक दुर्बलता को संशोधन के लिए एक औपचारिक आवेदन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। यदि इप्सित संशोधन एक साधारण दुर्बलता से संबंधित है जो एक औपचारिक संशोधन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है और इस तरह के संशोधन की अनुमति देकर, दूसरे पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य के बाद भी कि इस तरह के संशोधन को लागू करने के लिए संहिता में कोई सक्षम प्रावधान नहीं है, तो न्यायालय इस तरह के संशोधन किये जाने की अनुमति दे सकता है। इसके विपरीत, यदि परिवाद में किया जाने वाला संशोधन किसी उपचार योग्य दुर्बलता से संबंधित नहीं है या इसे औपचारिक संशोधन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है या यदि दूसरे पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह की संभावना है, तो न्यायालय परिवाद में इस तरह के संशोधन की अनुमति नहीं देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में, कंडिका 11 (ए) और 11 (बी) जोड़कर संशोधन को पूरा करने के लिए दिनांक 24.05.2007 को संशोधन आवेदन दायर किया गया था। यद्यपि, प्रस्तावित संशोधन एक औपचारिक संशोधन नहीं था, परंतु एक महत्वपूर्ण संशोधन था, दण्डाधिकारी ने संशोधन आवेदन को मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार किया था कि संशोधन आवेदन के निराकरण से पहले परिवाद का कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। सबसे पहले, दण्डाधिकारी को परिवाद की अंतर्वस्तु पर न्यायिक बुद्धि का अनुप्रयोग करना शेष था और उसने प्रकरण का संज्ञान नहीं लिया था। दूसरा, चूंकि अभियुक्त को समन जारी करने का आदेश दिया जाना शेष था, इसलिए अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह कारित नहीं होगा। तीसरा, संशोधन से परिवाद की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो कि मानहानि से संबंधित थी। चौथा, 'खलनायकरु' कविता का प्रकाशन, अनुवर्ती घटना की प्रकृति में होने के कारण उत्तरवादी के पक्ष में कार्रवाई का एक नया वाद हेतुक बना, जिस पर उत्तरवादी एक अलग परिवाद दर्ज कराकर अभियोजन करा सकता था और इसलिए कार्यवाही की बहुलता का परिवर्जन करने के लिए, विचारण न्यायालय ने संशोधन आवेदन को अनुज्ञा दी। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, जिन पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विचार किया था, हमारे मत में, उच्च न्यायालय ने दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से उचित रूप से इनकार कर दिया जिसमें संशोधन

आवेदन को स्वीकार किया गया था और यह आक्षेपित आदेश किसी भी गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

10. मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेख को पूरी सावधानी के साथ देखा है और आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया है।

11. यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त/उत्तरवादी और वादी एक-दूसरे को जानते हैं और अभियुक्त/उत्तरवादी ने परिवादी/अपीलार्थी से व्यावसायिक कार्य के लिए ₹4,00,000/- ऋण लिया था। ऋण पुनर्संदाय करने के लिए, अभियुक्त/उत्तरवादी ने भारतीय स्टेट बैंक, चकरभाटा, बिलासपुर का 514121 संख्यांकित ₹4,00,000/- का 09.10.2017 दिनांकित एक चेक परिवादी/अपीलार्थी को दिया है और जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, छतौना, जिला बिलासपुर में आहरण के लिए जमा किया गया था। उक्त चेक रिटर्निंग ज्ञापन(प्रदर्श पी/3) के अनुसार "अपर्याप्त धन" टिप्पणी के साथ अनादृत हो गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह तथ्य भी स्वीकार किया गया है कि दिनांक 08.11.2017 को, इस संबंध में जानकारी अभियुक्त/उत्तरवादी को उसके अधिवक्ता के माध्यम से विहित अवधि (प्रदर्श पी/4) में प्रेषित की गई थी, परन्तु नोटिस प्राप्त करने के बाद, अभियुक्त/उत्तरवादी ने राशि का संदाय नहीं किया। जब अभियुक्त/उत्तरवादी द्वारा राशि का संदाय नहीं किया गया, तो परिवादी/अपीलार्थी द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दर्ज किया गया था। विचारण न्यायालय ने परिवाद का संज्ञान लिया था और अभियुक्त/उत्तरवादी को नोटिस जारी किया जो उसके बाद प्रकरण में उपस्थित हुआ। विचारण संपन्न किया गया और विद्वान् जेएमएफसी, बिल्हा, जिला बिलासपुर ने

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना उपरांत निम्नलिखित निर्धारण पर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया :-

> "परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र०पी-01 से प्र०पी०-05 के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त के द्वारा नरेश इलेक्ट्रीकल्स को चेक क्रमांक -514121 भारतीय स्टेट बैंक चकरभाठा बिलासपुर को 4,00,000/- रूपये हेतु दिया गया था, जिसके आहरण के लिए भरा गया पर्ची दिनांक 13.10. 2017 प्र०पी०-02 है। परिवादी के द्वारा चेक क्रमांक-514121 के अनादरण का मेमो दिनांक 13.10.2017 प्र०पी०-03 प्रस्तुत किया है। परिवादी के द्वारा अभियुक्त को भेजा गया पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 08.11.2017 प्र०पी०-4 प्रस्तुत किया गया है, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 (ख) के प्रावधान के अनुसार बैंक मेमो प्रप्ति दिनांक से 30 दिन के भीतर जारी किया जाना दर्शित है। पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 08.11.2017 प्र०पी०-04 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त पंजीकृत सूचना पत्र चेक क्रमांक -513121 दिनांक 09.10.2017 के संदर्भ में जारी किया गया है, जबकि परिवादी के द्वारा यह परिवाद चेक क्रमांक-514121 दिनांक 09.10.2017 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिससे दर्शित है कि परिवादी के द्वारा परिवाद में किये गये अभिवचन के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। परिवादी यह परिवाद दिनांक 05.12.2017 को संस्थित किया गया है। इस प्रकार परिवादी यह प्रमा. णित करने में असफल रहा है कि उसके द्वारा अभियुक्त को चेक कमांक-514121 दिनांक 09.10.2017 को संस्थित किया गया है। इस प्रकार परिवादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसके द्वारा अभियुक्त को चेक क्रमांक-514121 दिनांक 09.10.2017 के अनादरण के संदर्भ में पंजीकृत सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसके आभाव में परिवाद संस्थित किये जाने का वाद हेतुक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (स) के अंतर्गत उद्भुद होना दर्शित नहीं होता है। अतः परिवादी के द्वारा विचारणीय प्रश्न कमांक-01 एवं 02 को प्रमाणित किया गया है किंतु परिवादी विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03 एवं 04 को प्रमाणित करने में असफल रहा है।"

13. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं : -

138. खातों में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चेक का अनादरण-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए कराकर द्वारा उस खाते में से संदाय करने करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चेक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक:
>
> (क) वह चेक उसके, लिखे जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो;
>
> (ख) चेक का पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को, असंदत्त चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है; और
>
> (ग) ऐसे चेक का लेखीवाल, चेक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक् अनुक्रम में करने में असफल नहीं रहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. आदेश के समग्र पठन से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि उत्तरवादी ने दिनांक 09.10.2017 को ₹4,00,000/- का एक चेक जारी किया है जो अनादरित हो गया था और परिवादी/अपीलार्थी ने उपरोक्त राशि की मांग की थी और उत्तरवादी को समयसीमा मे नोटिस भेजा गया था।

15. **नीलेश कुमार लुकंद बनाम निर्मल बर्दिया 2010 (3) एम. पी. एच. टी. 14 (छ.ग.)** के प्रकरण में इस माननीय न्यायालय ने कंडिका 14 से 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

“14. जैसा कि कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवादी को इस तथ्य को साबित करना आवश्यक है कि चेक ऋण या देयता के उन्मोचन में जारी किया गया था और ऐसी उपधारणा को विस्थापित किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया गया है कि केवल चेक की संख्या भिन्न है, विशेष रूप से नोटिस और परिवाद में एक अंक 5 के स्थान पर एक अंक 3 उल्लिखित हो गया है। कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कार्पेट्स (पूर्वोक्त) का प्रकरण तथ्यों के आधार पर सुभिन्न है।

15. के. आर. इंदिरा बनाम डॉ. जी. आदिनारायण (पूर्वोक्त) के प्रकरण में चेक की राशि और ऋण/देयता की राशि में अंतर था, लेकिन वर्तमान प्रकरण में चेक की राशि और देयता की राशि एक ही थी, सिवाय चेक के एक अंक की भिन्नता के।

16. जैसा कि सुमन सेठी बनाम अजय के. चुरीवाल और अन्य(पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया था कि नोटिस को समग्रता में पढ़ना आवश्यक है:-कंडिका-8 निम्नानुसार हैः -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि नोटिस को समग्रता में पढ़ा जाना चाहिए। नोटिस में, "कथित राशि" अर्थात चेक राशि की मांग की जानी चाहिए। यदि ऐसी कोई मांग नहीं की जाती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह इसकी विधिक आवश्यकता से कम होगी। जहाँ "कथित राशि" के अतिरिक्त ब्याज, लागत आदि के रूप में भी दावा किया जाता है कि क्या सूचना दोषपूर्ण है, यह सूचना की भाषा पर निर्भर करेगा। यदि किसी सूचना में दावे का विवरण देते समय चेक राशि, ब्याज, हर्जाना आदि पृथक से निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो ब्याज, लागत आदि के लिए ऐसे अन्य दावे अनावश्यक होंगे और ये अतिरिक्त दावे अलग किए जा सकते हैं और सूचना को अविधिमान्य नहीं करेंगे। यदि, तथापि, सूचना में यह निर्दिष्ट किए बिना कि अनादरित चेक के अंतर्गत क्या देय था, एक बहुप्रयोजनीय माँग की जाती है, तो सूचना विधिक आवश्यकता को पूरा करने में विफल हो सकती है और इसे दोषपूर्ण माना जा सकता है। नोटिस को समग्रता में पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 4/5/01 को ₹75,000/- का चेक जारी किया है तथा उत्तरवादी ने उक्त राशि की मांग व्यय सहित की है, इस प्रकरण में अंतर्लिप्त एकमात्र निर्णायक प्रश्न है कि नोटिस, परिवाद और चेक प्रदर्श पी-2 में उल्लिखित चेक की संख्या में अंतर का क्या प्रभाव होगा।

17. वर्तमान प्रकरण में संव्यवहार की अवधि के दौरान उत्तरवादी के साक्ष्य के अनुसार आवेदक द्वारा उत्तरवादी के नाम पर ₹75, 000/- का

केवल एक चेक जारी किया गया था जो बैंक द्वारा अनादरित किया गया था, यद्यपि आवेदक ने अपने परीक्षण में प्रश्न संख्या 5 का उत्तर देते हुए स्वीकार किया है कि उसने चेक संख्या 053208 जारी किया था, परन्तु प्रश्न संख्या 9 और 11 के उत्तर में उसने विशेष रूप से यह स्पष्ट किया है कि नोटिस में गलत चेक संख्या का उल्लेख होने के आधार पर उसने परिवादी को जवाब नहीं भेजा है, इससे दर्शित होता है कि आवेदक को चेक की सही संख्या की जानकारी थी, लेकिन उसने नोटिस का जवाब इस आधार पर नहीं दिया है कि नोटिस में सही चेक का उल्लेख नहीं किया गया था, अगर नोटिस को समग्रता में पढ़ा जाए तो यह अनुमान करने के लिए पर्याप्त होगा कि आवेदक द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में केवल ₹75, 000/- का एक चेक जारी किया गया था। अभि०सा०-1 उत्तरवादी निर्मल बरड़िया के साक्ष्य के आलोक में कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी को जारी चेक प्रदर्श पी-2 जिसे प्रस्तुत किया गया था और वह बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया था। परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण में सूचना को समग्रता में पढ़ने की आवश्यकता होती है और यदि परिवादी यह निर्दिष्ट करने में असमर्थ है कि अभियुक्त ने वह चेक जारी किया है जिसे अनादरित कर दिया गया है, तो केवल चेक संख्या उल्लेखित करने में, विशेष रूप से उसमें एक अंक का उल्लेख करने में किसी भी अंकगणितीय और लिपिकीय त्रुटि के आधार पर, दाण्डिक कार्यवाही को संदूषित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने दोषसिद्धि को मान्य रखा है और केवल चेक की संख्या की लिपिकीय त्रुटि के आधार पर दण्डादेश को संशोधित किया है। उत्तरवादी के दावे को तब निरस्त नहीं किया जा सकता है जब आवेदक तथ्यों से पर्याप्ततः अवगत था, अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की दोषसिद्धि को उचित रूप से मान्य रखा है, मुझे निर्णय में कोई अवैधता नहीं मिलती है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो उस पर निहित अधिकार क्षेत्र का अतिचार किया है और न ही उस पर निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, यह दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है और एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

16. प्रकरण में अंतर्विष्ट एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या परिवाद और विधिक नोटिस में चेक की सही संख्या का उल्लेख करने से विचारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा?

17. वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी के साक्ष्य के अनुसार, संव्यवहार के दौरान उत्तरवादी द्वारा 514121 संख्यांकित ₹4,00,000/- का एक चेक अपीलार्थी/परिवादी के नाम पर जारी किया गया था, जो अपर्याप्त निधि के कारण बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया था। इसके बाद परिवादी ने उत्तरवादी के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराई। हालाँकि, परिवाद, शपथ पत्र और विधिक नोटिस में चेक संख्या 514121 के स्थान पर गलत चेक संख्या अर्थात 513121 का उल्लेख किया गया था। जिसके लिए, परिवादी ने उक्त में सुधार हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.10.2019 के अनुसार, उस सुधार की अनुज्ञा देकर उक्त आवेदन स्वीकार किया था। संशोधन के उक्त आदेश के विरुद्ध, उत्तरवादी/अभियुक्त ने पुनरीक्षण दायर किया है, जिसे पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया है कि परिवादी ने संशोधन आवेदन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की मंशा नहीं दर्शाई है और एकल अंक के सुधार के लिए, कार्यवाही की बहुलता का परिवर्जन करने हेतु संशोधन किया जा सकता है। दस्तावेज़ के अवलोकन पर, उत्तरवादी ने न तो इस आधार पर विधिक नोटिस का जवाब दिया है कि चेक की सही संख्या अर्थात 514121 का उल्लेख नहीं किया गया था, और न ही गलत चेक संख्या अर्थात 513121 का विधिक नोटिस में उल्लेख किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति उत्थापित की थी। यदि नोटिस को समग्रता में पढ़ा जाता है तो यह ऐसा अनुमान करने के लिए पर्याप्त होगा कि उत्तरवादी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में ₹4,00,000/- का केवल एक चेक जारी किया गया था। परिवादी/अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य में विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि चेक (प्रदर्श पी/1) उत्तरवादी द्वारा उसे जारी किया गया है जिसे उसे प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया था और जो अपर्याप्त निधि के आधार पर बैंक द्वारा अनादरित किया गया था।

18. एन. आई. अधिनियम के प्रकरण में, सूचना को समग्रता में पढ़ने की आवश्यकता होती है और यदि परिवादी यह निर्दिष्ट करने में सक्षम है कि अभियुक्त ने चेक जारी किया है जो अनादरित हो गया है तथा विचारण न्यायालय ने भी निर्णय में इसकी पुष्टि की है कि उत्तरवादी ने चेक जारी किया है जो अनादरित हो गया है, तो केवल चेक संख्या, विशेष रूप से एक अंक का उल्लेख करने में किसी भी अंकगणितीय और लिपिकीय गलती के आधार पर, दाण्डिक कार्यवाही को संदूषित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. पूर्वगामी कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि केवल चेक की संख्या के एक अंक 4 की लिपिकीय त्रुटि के आधार पर और जब संबंधित विचारण न्यायालय की अनुज्ञा से, चेक संख्या 513121 के स्थान पर चेक संख्या 514121 को परिवाद में सुधारकर इसे ठीक किया गया है, उत्तरवादी के दावे को विशेष रूप से तब निरस्त नहीं किया जा सकता है जब उत्तरवादी इस तथ्य से सुअवगत था।

20. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ **नीलेश कुमार लुकंद** (पूर्वोक्त) के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा अपनाए गए रुख को देखते हुए, आरोपी/उत्तरवादी को एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है। प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए और आगे विचार करते हुए कि ₹4,00,000/- राशि का चेक जो उत्तरवादी द्वारा जारी किया गया था, वह अनादरित हो गया था, इसलिए, उत्तरवादी को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है और उसे ₹5,00,000/- का अर्थदण्ड संदत्त करने हेतु दण्डादिष्ट किया जाता है। अर्थदंड की राशि अर्थात ₹5,00,000/- उत्तरवादी द्वारा निर्णय की

घोषणा की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष जमा किया जाएगा और इसका संदाय अपीलार्थी/परिवादी को किया जाएगा। यदि अभियुक्त/उत्तरवादी द्वारा निर्धारित समय के भीतर उक्त अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उसे छह महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

21. यह दोषमुक्ति अपील **स्वीकार की जाती है** और तदनुसार **निराकृत की जाती** है।

22. इस आदेश की एक प्रति तथा मूल अभिलेखों को आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ज्योति

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**